भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1598

सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

हिमाचल प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता

1598. डॉ. राजीव भारद्वाज:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य को केंद्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): जी, हां। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की सिफारिशों के आधार पर, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के भाग II (पीएम गति शक्ति संबंधी व्यय) के तहत 42 करोड़ रुपये की राशि वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। 42 करोड़ रुपये की समस्त स्वीकृत राशि दिनांक 15.12.2022 के स्वीकृति आदेश के माध्यम से राज्य को जारी कर दी गई थी।

(ख): वर्ष 2025-26 में 04.02.2026 तक एसएएससीआई के तहत हिमाचल प्रदेश को 2427.7 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।